प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 14.07.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- अवैध चाकू के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना कटघरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों, अवैध शस्त्र धारको, शस्त्र निर्माण/तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण व संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 14.07.2024 को उ0नि0 मोनू शर्मा थाना कटघर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त शाहरुख पुत्र अजहर निवासी बरवाला मझरा थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को अवैध एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कटघर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-359/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. धर्म परिवर्तन कराने के लिये जाति सूचक शब्दो का प्रयोग कर गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2024 को वादिनी निवासनी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा निकाह कर वादिनी को धर्म परिवर्तन कराने के लिये जातिसूचक शब्दो का प्रयोग कर गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीरी सूचना घटना दिनांक 10.02.2024 के आधार पर मु0अ0सं0- 303/2024 धारा- 323/504/506 भा0द0सं0, 3(1)a, 3(1)द, 3(1)ध , 3(2)(va) SC/ST ACT व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 बनाम आबिद हुसैन पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.07.2024 को आबिद हुसैन पुत्र श्री अब्दुल रहमान निवासी रुपपुर टण्डोला, थाना-ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद हाल निवासी मौ0 बहेडोवाला कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद (जाति मुस्लिम सैफी) को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3. प्रलोभन से धर्म परिवर्तन कराने व जान से मारने की धमकी देने के 02 आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2024 को वादी श्री पंकज सिंह पाल पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम रामूवाला गणेश थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा पादरी को बुलाकर इसाई सत्संग कराने व पादरी द्वारा गांव रमनावाला के हिन्दु समाज के लोगो को लोभ लालच देकर इसाई धर्म अपनाकर हिन्दु धर्म छोडने, एंव धर्म संपरिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकी के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 304/2024 धारा- 351(2)/351(3)बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 बनाम जयपाल आदि के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.07.2024 को उ0नि0 योगेश कुमार थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपीगण 1. जयपाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम रमनावाला थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद, 2. कुलवन्त उर्फ कुलविन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी वैशाली कॉलोनी, काशीपुर, थाना आईटीआई, काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4. गाली-गलौच,मारपीट व जान से मारने की नियत से फायर करने के 02 आरोपी गिरफ्तार थाना कटघरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.07.2024 को वादी हे0का0 प्रशान्त थाना कटघर, मुरादाबाद ने थाना कटघर क्षेत्रान्तर्गत प्रभात मार्किट गुलाबाडी रोड पर अज्ञात अभि0गण द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना मौके पर बचाने आये लोगो पर जान से मारने की नियत से फायर करना जिससे अफरा तफरी का माहौल व भगदड मच जाने के सम्बन्ध में थाना कटघर पर मु0अ0सं0- 352/2024 धारा-115(2)/352/109 भारतीय न्याय संहिता 2023 व 7 सीएलए एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.07.2024 को उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना कटघर जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण 1. जतिन पुत्र सुरेश निवासी कच्ची बस्ती पीतलनगरी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद, 2. कृष्णा पुत्र बन्टी सैनी निवासी इन्द्रा कालौनी थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

5. थाना मुगलपुरा पुलिस ने 01 वारण्टी को किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 14.07.2024 को उ0नि0 सत्येंद्र मलिक थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद द्वारा मय हमराही पुलिस बल के वारण्टी सनी पुत्र सौलत निवासी गोरे गरीबा बाली गली वरवलान थाना मुगलपुरा मुरादाबाद सम्बन्धित वारण्ट मुकदमा न0- 11637/21 अ0स0- 353/20 धारा 188/269 भाद0वि0 11 पशु क्रुरता अधिनियम को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय भेजा गया।